तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
.7.18	पत्रावली पेश हुई। सर्किल रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपी० अधि. को एकपक्षीय सुना एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलार्थी के विरुद्ध तत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय दिनांक 19.6.18 प्र. सं. 142/18 उनवान राजपाल बनाम सुरेश का प्रचलन स्थगित करते हुए दोनो पक्षों को विवादित आराजी ख० नं. 349 रकबा 1.07 बीघा वाके ग्राम कतोपुर त. कोटकासिम को रहन बय/हिबा न करने बाबत आदेश दिया जाकर अथवा अधीनस्थ न्यायालय में ही पक्ष प्रस्तुत कर चाराजोई करने हेतु तहत अदालत को प्रतिप्रेषित (Remmand) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner